पत्रांक–02/न०वि०/स्था०व्यय०/जला०सा०आ०–109/2018– 72

झारखंड सरकार

नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

अजय कुमार सिंह,
सरकार के सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं हक०),
झारखण्ड, रांची।

अनौपचारिक रूप से परामर्शित

द्वारा– आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।

रांची, दिनांक 09/07/18

विषयः– वित्तीय वर्ष 2018–19 में स्थापना व्यय अंतर्गत पानी तथा मल–जल सफाई मद में उपबंधित राशि से राज्य के 09 नगर निगमों को कुल 5,00,00,000/–रु० (पाँच करोड़ रुपये) मात्र अनुदान राशि की स्वीकृति।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक वित्तीय वर्ष 2018–19 में स्थापना व्यय अंतर्गत पानी तथा मल–जल सफाई मद में उपबंधित राशि से राज्य के 09 नगर निगमों को कुल 5,00,00,000/–रु० (पाँच करोड़ रुपये) मात्र अनुदान की स्वीकृति निम्नवत् प्रदान की जाती है:–

क्र०	निगम का नाम	कुल आवंटित राशि	कोषागार/उप कोषागार का नाम	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी
i	ii	iii	iv	v
1	धनबाद	17,187,878	धनबाद	नगर आयुक्त/ अपर नगर आयुक्त/ कार्यपालक पदाधिकारी
2	हजारीबाग	3,155,110	हजारीबाग	
3	चास	2,067,694	बोकारो	
4	राँची	13,370,801	राँची	
5	देवघर	2,711,637	देवघर	
6	आदित्यपुर	2,830,579	सरायकेला	
7	गिरिडीह	3,674,474	गिरिडीह	
8	मानगो	2,217,791	जमशेदपुर	
9	मेदिनीनगर	2,784,036	पलामू	
	कुल:–	**50,000,000**	पाँच करोड़ रुपये मात्र	

2. स्वीकृत अनुदान राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2018–19 में नगर विकास एवं आवास विभाग (नगर विकास प्रभाग) के मांग संख्या–48 के अधीन स्थापना व्यय–मुख्यशीर्ष–2215–जल पूर्ति तथा सफाई–उप मुख्यशीर्ष–02–मल–जल तथा सफाई–लघुशीर्ष–191–नगर निगमों को सहायता–उप शीर्ष–08–पानी तथा मल–जल सफाई के लिए नगर निगमों को सहायक अनुदान–विस्तृत शीर्ष–06–अनुदान–79–सहायता अनुदान सामान्य (गैर–वेतन)–विपत्र कोड–48S221502191080679 के अंतर्गत उपबंधित राशि 800.00 लाख रु० से की जायगी।

3. स्वीकृत अनुदान की राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी तालिका के स्तंभ–v में उल्लेखित पदाधिकारी होंगे, जिनके द्वारा राशि की निकासी तालिका के स्तंभ–iv में उल्लेखित संबंधित कोषागार से वर्त्तमान वित्तीय वर्ष 2018–19 के अंतर्गत अनिवार्य रूप से की जाएगी। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी राशि आवंटन के 15 दिनों के अंदर राशि की निकासी सुनिश्चित करते हुए विभाग को सूचित करेंगे।

4. स्वीकृत अनुदान राशि की निकासी वित्त विभाग द्वारा निर्गत परिपत्र (अनुदेश) सं०–2561/वि० दि०–17.01.98 में सन्निहित प्रक्रियाओं एवं समय–समय पर निर्गत अनुदेशों के आलोक में की जायेगी।

5. वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची के संकल्प संख्या–759/वि० दिनांक–20.03.2015 की कंडिका–5(iii) के आलोक में स्वीकृत सहायता अनुदान की राशि के विपत्र पर सक्षम प्राधिकार या उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी से प्रतिहस्ताक्षर के पश्चात् विपत्र कोषागार में TC Form-60 में प्रस्तुत किया जायेगा।

Arun/D/VINAY JI/S.O.(Mal-Jal Safai 18-19)-5

6. विगत वित्तीय वर्ष के पूर्व वर्ष में निकासी की गयी राशि की उपयोगिता संबंधी विवरणी निम्नवत् है:-

क्र०	निगम का नाम	स्वीकृत्यादेश संख्या एवं तिथि	निकासी की गई राशि	प्राप्त उपयोगिता प्रमाण पत्र की राशि
1	धनबाद	37/19.05.16	83,26,847	83,26,847
2	हजारीबाग	37/19.05.16	1,530,341	1,530,341
3	चास	37/19.05.16	9,99,774	9,99,774
4	राँची	51/10.06.16	6,458,354	6,458,354
5	देवघर	37/19.05.16	13,11,433	13,11,433
6	आदित्यपुर	37/19.05.16	13,73,251	13,73,251
7	गिरिडीह	38/19.05.16	19,14,489	19,14,489
8	मानगो	39/19.05.16	29,48,772	29,48,772
9	मेदिनीनगर	38/19.05.16	10,63,822	10,63,822

7. संबंधित निकाय के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा स्वीकृत अनुदान राशि का उपयोग शहरी क्षेत्रों में चापाकल मरम्मति/जलापूर्ति तथा साफ-सफाई के लिए किया जाएगा। किसी भी परिस्थिति में राशि का विचलन नहीं किया जाएगा।

8. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वीकृत अनुदान राशि के व्यय से संबंधित उपयोगिता प्रमाण पत्र विहित प्रपत्र में टी०भी०नं० एवं तिथि सहित महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को भेजते हुए उसकी एक प्रति सरकार को भी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

9. भारतीय अंकेक्षण एवं लेखा विभाग तथा राज्य वित्त (अंकेक्षण) विभाग को इससे संबंधित पुस्तकों/ पंजियों की जांच-पड़ताल एवं अंकेक्षण करने का पूर्ण अधिकार होगा।

10. स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर आन्तरिक वित्तीय सलाहकार का सहमति प्राप्त है।

11. वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची के संकल्प संख्या-759/वि० दिनांक-20.03.2015 (कंडिका-5) के आलोक में स्वीकृत राशि की निकासी हेतु प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

अतः संबंधित कोषागार पदाधिकारी वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची के संकल्प संख्या-759/वि०, दिनांक-20.03.2015 के आलोक में स्वीकृत राशि की निकासी सुनिश्चित करेंगे।

विश्वासभाजन

(अजय कुमार सिंह)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक-02/न०वि०/स्था०व्यय०/जला०सा०आ०-109/2018-72, राँची, दि०-09/07/18

प्रतिलिपि-माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग/सचिव के प्रधान आप्त सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग/संबंधित सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/संबंधित सभी उपायुक्त/प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा) एवं स्थानीय लेखा परीक्षक, झारखण्ड, राँची/आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, राँची/संबंधित सभी कोषागार पदाधिकारी/संबंधित सभी निकाय के महापौर/अध्यक्ष/नगर आयुक्त/अपर नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी/अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/श्री मृणाल, विशेषज्ञ को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु/श्री संदीप अग्रवाल, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी को ऑनलाईन आवंटन हेतु/बजट शाखा, नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव।

Arun/D/VINAY JI/S.O.(Mal-Jal Saf-safai 18-19)-6